-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा में पुलिस लाइन नवीन सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के तत्वाधान में बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी आदि की रोकथाम के संबंध में की गयी मासिक समीक्षा बैठक । दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में बाल भिक्षावृत्ति/बालश्रम की रोकथाम, किशोर न्याय संरक्षण, बाल विवाह की रोकथाम आदि हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.06.2025 को पुलिस लाइन बांदा नवीन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit-SJPU) के तत्वावधान में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी एवं अन्य बाल अपराधों की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करना तथा आगे की रणनीति तैयार करना रहा । अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल अपराध से जुड़े संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा सक्रियता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें साथ ही जनपद में बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से अभियान चलाए जाएं, पीड़ितों को अधिक से अधिक आवश्यक सहायता प्रदान कराने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए, साथ ही बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु विद्यालयों, ग्राम पंचायतों एवं शहरी बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया जाए । समीक्षा बैठक दौरान क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री कृष्णकांत त्रिपाठी सहित अभियोजन कार्यालय, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग,प्रतिनिधि UNICEF बांदा, श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन बांदा, समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, आरपीएफ, थाना एएचटी, एसजेपीयू, वन स्टॉप सेन्टर, साथी उत्तर प्रदेश संस्था तथा ग्रामीण स्वावलंबन समिति,ग्रामीण परम्परा विकास संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।